

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

1. श्री आशाराम पिता किशनलाल जाति मेघवाल निवासी हडमतियाकुण्डाल तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0

— वादी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मेघवाल निवासी वसेड़ा महीनगर तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री गुड्डीबाई पुत्री प्रभुलाल पत्नी घीसालाल जाति मेघवाल निवासी वसेड़ा महीनगर तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या :-53/2020

दिनांक 28.03.2022

तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा सूची को स्वीकार करते हुए मौजा वसेड़ा पटवार हल्का वसेड़ा तहसील छोटीसादड़ी के आ.नं. 1124/1269 रकबा 0.35 हैक्ट0 भूमि में अंकित हक हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कर अन्तिम डिक्री इस प्रकार किया जाता है:-

1. श्री आशाराम पिता किशनलाल मेघवाल सा. हडमतिया कुण्डाल खातेदार:-

मौजा-वसेड़ा

आराजी नं0	रकबा हैक्टर	भाग
1124 / 1269 मेसे	0.16	पूर्व में
कुल किता	1	कुल रकबा 0.16 हैक्ट0


2. श्री भंवरलाल, गुड्डीबाई पिता प्रभुलाल मेघवाल सा. देह खातेदार:-
मौजा-वसेड़ा

आराजी नं0	रकबा हैक्टर	भाग
1124 / 1269 मेसे	0.19	पश्चिम में
कुल किता	1	कुल रकबा 0.19 हैक्ट0

D

अतः उपरोक्तानुसार खातेदारान के मध्य आराजीयात का विभाजन कर पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जात है कि डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

गयासिराय यह डिक्री आज दिनांक 28.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की



(~~सिंह~~ कुमारा मल्होत्रा)

उपायुक्त अधिकारी

छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज0)